132

20रु. Rs.20 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2017 ~~पुनर्विलोकन~~ पुनरीक्षण निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/1872

1. कमलेश पुत्री स्व. राजाराम पत्नि धूराम अहिरवार निवासी ग्राम बाजू बमाना मुहल्ला महोबा तह. व जिला महोबा (उ.प्र.)
2. श्रीमती ऊषा पुत्री स्व. राजाराम पत्नी शिवचरन अहिरवार निवासी ग्राम चितहरी तह. लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री मुकेश भारद्वाज एडवोकेट
द्वारा आज दि. 23-6-17 को
प्रस्तुत
23.6.17
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. फूल सिंह पुत्र पूरन सिंह राठौर
2. मौजीलाल पुत्र बेनी अहिरवार
3. देशराज पुत्र राजाराम

   निवासीगण ग्राम ज्यौराहा तह. लवकुशनगर जिला छतरपुर
4. उर्मिला पत्नी बाबूलाल अहिरवार निवासी ग्राम बिलहरी तह. नौगांव जिला छतरपुर
5. मीरा पत्नी सुखदेवा अहिरवार निवासी ग्राम ढिगपुरा तह. नौगांव जिला छतरपुर

.... अनावेदकगण

मुकेश भारद्वाज
23-6-17 एडवोकेट
ग्वालियर

6. श्रीमती सजनीबाई पत्नी स्व. सज्जन सिंह पुत्र स्व. रिछपाल सिंह

न्यायालय नायब तहसीलदार पढ़ा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 62/अ–6अ/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31.5.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1872 कमलेश विरूद्ध फूलसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 62/अ-6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य